प्रेस विज्ञप्ति

04 अक्टूबर, 2017

रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज प्रेस को निम्नलिखित बयान जारी किया :–

"सरकारी खजाने को चूना लगा, भाजपा सरकार 'चुनिंदा पूंजीपति मित्रों' को फायदा पहुंचा रही है"

प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी के **'ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन'** एवं **'न खाऊंगा, न खाने दूंगा'** जैसे दावे **'खोखले जुमले'** के सिवाए और कुछ नहीं। यह पिछले तीन सालों में **लगातार हो रहे घोटालों–** 'ललित मोदीगेट घोटाला', 'व्यापम घोटाला', 'छत्तीसगढ़ पीडीएस घोटाला', 'गुजरात जीएसपीसी घोटाला', 'विजय माल्या–बैंक घोटाला', 'पनामा पेपर्स घोटाला', 'स्पेक्ट्रम नॉन रिकवरी घोटाला 1.0', जैसे अनेकों घोटालों ने साफ कर दिया है।

सबसे ताजा उदाहरण **'स्पेक्ट्रम घोटाला 2.0'** है, जिसके द्वारा भाजपा सरकार पिछले दरवाजे से स्पेक्ट्रम नीलामी राशि की वसूली को षडयंत्रकारी तरीके से छः साल के लिए टाल रही है, जिससे सरकारी खजाने को अकेले ब्याज राशि में ₹ 23,821 करोड़ का नुकसान होगा। इसीलिए मोदी सरकार को 'जनता की नहीं, चुनिंदा मित्रों की सूट बूट सरकार' की संज्ञा दी जाती है।

तथ्य

i. 8 अगस्त, 2016 को भाजपा सरकार द्वारा 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz and 2500 MHz बैंड्स में स्पेक्ट्रम की सार्वजनिक नीलामी आमंत्रित की गई। नीलामी की शर्तों के मुताबिक नीलामी राशि का 50 प्रतिशत राशि (1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz और 2500 MHz bands) या 25 प्रतिशत (700 MHz, 800 MHz और 900 MHz) शुरु में देना था, तथा बाकी राशि 13 वर्ष में दी जानी थी, यानि कि पहले तीन साल कोई राशि नहीं व अगले 10 साल में 10 बराबर किश्तों में।

ii. स्पेक्ट्रम की नीलामी की नीति का निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा साल, 2012 में 'सेंटर फॉर पीआईएल बनाम भारत सरकार व अन्य' में किया गया, जिसे '2जी केस' भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट निर्णय किया गया कि प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन पूरी तरह से पारदर्शी व निष्पक्ष हो, राष्ट्रहित में हो तथा नीलामी के माध्यम से हो।

iii. 6 अक्टूबर, 2016 को यह नीलामी संपूर्ण हो गई तथा 965 MHz स्पेक्ट्रम 65,789.12 करोड़ में बिका। इसमें से 32000 करोड़ का भुगतान साथ साथ होना था, व बकाया 33,789.12 करोड़ का भुगतान 10 सालाना किश्तों में दिया जाना था। तीन टेलीकॉम कंपनी ने नीलामी में स्पेक्ट्रम खरीदा। ये हैं : Reliance Jio (269.9 MHz for Rs.13,672 crore), Airtel (173.8 MHz for Rs.14,244 crore) एवं Idea (349.20 MHz for Rs.12,798 crore)।

iv. नीलामी की राशि सरकार की आशा के अनुरूप नहीं मिल पाई। सरकार के नीलामी बारे निर्धारित ब्रोकरेज फर्म आईडीएफसी सिक्योरिटी लिमिटेड के मुताबिक नीलामी राशि लगभग 80,000 करोड़ होनी चाहिए थी। इस प्रकार, उम्मीद से लगभग 14,281 करोड़ रु. कम नीलामी राशि आई।

v. पिछले दरवाजे से टेलीकॉम कंपनियों की मदद के लिए भाजपा सरकार ने टेलीकॉम व वित्त मंत्रालय की एक सांझी इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी बना दी। 2जी केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अनदेखी करते हुए व नीलामी की शर्तों के घोर उल्लंघन में, इस कमेटी ने निर्णय किया कि नीलामी की बकाया 33.789.12 करोड़ राशि को 10 साल की बजाए 16 साल में लिया जाए। संचार मंत्रालय व संचार कमीशन ने अधिकारों के दुरुपयोग व कानून की अवहेलना वाले इस निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी ताकि टेलीकॉम कंपनियों को नाजायज फायदा पहुंचाया जा सके। अब यह निर्णय मंत्रिमंडल को अनुमोदन हेतु भेज दिया गया है।

सच्चाई

i. नीलामी की शर्तों को बदलकर टेलीकॉम कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाला यह निर्णय 2जी केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सरेआम उल्लंघन है, जिसमें सरकार की प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन बारे सरकारों के अधिकार पर राष्ट्रहित में संपूर्ण अंकुश लगा दिया गया था। भाजपा सरकार नीलामी की शर्तों को इस प्रकार से दरकिनार नहीं कर सकती।

ii. नीलामी की बकाया राशि को दस साल की बजाए 16 साल में लेने का मतलब है कि देश की तरक्की के लिए यह राशि चिन्हित समय में उपलब्ध नहीं होगी। इसके अलावा, छः साल अतिरिक्त का ब्याज मात्र से ही सरकारी खजाने को 23,821 करोड़ का नुकसान होगा, क्योंकि नीलामी की शर्तों के मुताबिक ब्याज की राशि 9.3 प्रतिशत है।

iii. भाजपा सरकार का यह कहना कि टेलीकॉम कंपनीज को यह रियायत इसलिए दी जा रही है, क्योंकि वह आर्थिक संकट से जूझ रही हैं, सरासर गैरकानूनी व दोषपूर्ण है। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अप्रैल, 2017 को एक निर्णय में अडानी एंटरप्राईज कंसोर्शियम की ऐसी ही दलील को खारिज किया है, जिसमें वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले के भाव बढ़ने पर बिजली के दामों में बढ़ोत्तरी चाहते थे।
यहां तक कि Reliance Jio – Airtel – Idea को इतना बड़ा फायदा देने से पहले सरकार ने उनकी दलील बारे कोई सर्वे नहीं करवाया। न ही जनहित में इस बात का ख्याल रखा कि नीलामी की शर्तों में पहले ही नीलामी राशि को 13 साल में देने का प्रावधान है ताकि वो पैसा कमाकर सरकार को दे पाएं।

iv. भाजपा सरकार ने नीलामी की उन शर्तों को भी दरकिनार कर दिया, जिनके मुताबिक अगर टेलीकॉम कंपनियां 3+10 साल में पैसे का भुगतान नहीं करतीं, तो मासिक दंडनीय ब्याज, बैंक गारंटी को जब्त करना और स्पेक्ट्रम को खारिज करने के प्रावधान हैं। यह नीलामी की शर्तों के सेक्शन Section 6.1(b)(viii to x) में लिखा है।

हम भाजपा सरकार से तीन सवाल पूछना चाहते हैं

1. क्या यह देश की जनता के साथ विश्वासघात नहीं, वो भी तब, जब भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए तत्कालीन सीएजी द्वारा टेलीकॉम सेक्टर में बताए गए 'नोशनल नुकसान' को पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार का मुख्य मुद्दा बनाया था? अब 'वास्तविक नुकसान' की भरपाई करने के लिए सरकार की क्या योजना है?
2. क्या सरकार जनता के हित की रक्षक बनने की बजाए चुनिंदा कॉर्पोरेट इकाईयों के साथ मिलकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने में मदद तो नहीं कर रही? क्या यह वित्तीय घाटे को कम करने का नया तरीका है?
3. मोदी सरकार के इस गवर्नेंस मॉडल से किसको फायदा पहुंच रहा है? क्या इससे सीधा–सीधा सरकारी खजाने को 23,821 करोड़ का नुकसान नहीं?